यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

नं. 3/22/24 तारीख रजू.........................

रामप्रसाद [illegible] बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/7/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] अन्तर्गत धारा 136 भू० राजस्व अधिनियम 1955 प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री [illegible] चौधरी एड० ने पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। इन्द्राज पंजिका हो। आज्ञावी जारी नोटिस [illegible] के तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 2/8/24 को पेश हो। SDM	
2/8/24	रा० [illegible] वाद [illegible] पत्रावली दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30.08.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया गया पत्रावली फैसल [illegible] [illegible] [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3/22/2024 दायर दिनांकः–19/07/2024

जीसीएमएस नं0ः–2024/412 निर्णय दिनांकः– 30/08/2024

बउनवांन

1. रामप्रसाद पुत्र अखैराम जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर
2. राजेन्द्र पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर
3. विमलेश स्त्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर
4. सावत्री पुत्री अखैराम जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर

तहसील कठूमर जिला अलवर।

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

––अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा– 1956

उपस्थितिः–1.श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर अप्रार्थी

–ःआदेशः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 148 रकबा 0.3800 हैक्ट0, वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण को विरासत में अपने पिता से मिली आरजी है जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। साविक आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 1 विघा 10 बिस्वा जिसके हाल बन्दोवस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 148 रकबा 0.3800 हैक्ट0 वांके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर कायम किये गये है जो कि अखैराम की कब्जे काश्त खातेदारी की थी जिसमें अखैराम 2/5 भाग के काश्तकार खातेदार थे। अखैराम की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थीगण असके 2/5 भाग में बहिस्सा बराबर बहैसियत काश्तकार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा मौके पर प्रार्थीण आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है।जिसके साविक खसरा नम्बर126 रकबा 1बिघा 10बिस्वा का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अखैराम सम्वत 2010 से खातेदार काश्तकार थे। जमाबन्दी सम्बत 2020 में प्रार्थीगण के पिता 2/5 के काबिज खातेदार दर्ज है वो जमाबन्दी सम्बत 2028 में प्रार्थीगण का पिता का नाम बिना किसी हक वो अधिकार बिना किसी सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश के बिना प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाबन्दी से हटा दिया गया जबकि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व की जमाबन्दीयो के अनुसार ही इन्द्राज करना चाहीये थे, बन्दोबस्त विभाग को न तो नाम तर्क करने का अधिकार है ना ही जमाबन्दीयो में से किसी के नाम को हटाने व तर्क करने का अधिकार है जबकि पूर्व जमाबन्दीयो में दर्ज खातेदार को ही रिपीट करने का अधिकार है जमाबन्दी सम्बत 2028 के खाता संख्या 39 में अखैराम पुत्र चिरंजी का नाम गलत रूप से हटा दिया गया है जबकि जमाबन्दी सम्बत 2020 में अखैराम प्रार्थीगण के पिता/बाबा का नाम खातेदारी दर्ज है इस प्रकार श्रीमान् का जाहिर होगा कि प्रार्थीगण के पिता अखैराम आराजी मुतनाजा में 2/5 भाग के काबिज खातेदार काश्त थे तथा जमाबन्दी सम्बत 2011 में प्रार्थीगण के पिता काविज खातेदार थे, प्रर्थीगण के नाम इन्द्राज राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से हटाये गये है, प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में तर्क किये जाने के कारण प्रार्थीण के हित प्राभावित हो रहे है प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाला नुकसान हो रहा है, इसलिये प्रार्थीगण अपने नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कारवाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार का जमाबन्दी में पुर्वानुसार शुद्विकरण का इन्द्राज किया जावे तो इससे कोई राज्यहित प्रभावित नहीं होता है। उक्त सहमति तहसीलदार कठूमर द्वारा दी गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबन्दी में पुर्वानुसार शुद्विकरण का इन्द्राज किया जाने का निवेदन किया गया। जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध पहचान के समस्त दस्तावेजात से होती है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विद्वान पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने पर यह पाया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबन्दी में पुर्वानुसार शुद्विकरण का इन्द्राज किया जाने से राजस्व रेकार्ड में इस तरह की दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराज़ी खसरा नम्बर 148 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 रामप्रसाद को 2/15 भाग व प्रार्थीगण 2 व 3 राजेन्द्र, 1/15, भाग, विमलेश को 1/15, भाग व प्रार्थी संख्या 4 सावत्री को 2/15 भाग व देवकान्त को 1/15 भाग, शिवराम को 1/15 भाग, बलराम के वारिसान मदनलाल राधेश्याम, मथुराप्रसाद, दीनदयाल, सरवती, कन्हैयालाल, चन्द्रकान्ता, रूकमनी व विमला देवी को 4/15 भाग, रमेशचन्द को 1/20 भाग, सचिन को 1/20 भाग, कमलेश को 1/20 भाग, सत्यवती 1/80 भाग, गोरीशंकर को 1/80 भाग, हरिशंकर को 1/80 भाग, रविशंकर को 1/80 भाग को जातियान ब्रहाम्ण निवासीयान रामनगर तहसील कठूमर के नाम इन्द्राज दुरूस्त शुद्व कर दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)